दिनांक 20.07.2021 को जिलाधिकारी महोदय, चम्पावत की अध्यक्षता में आयोजित जिला उद्योग मित्र की बैठक का कार्यवृत्त :–

स्थान :– जिला कार्यालय सभागार चम्पावत।

उपस्थिति :–

1.	श्री विनीत तोमर, जिलाधिकारी, चम्पावत	अध्यक्ष
2.	श्री आर.एस.रावत, मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
3.	श्रीमती योगिता तिवारी, वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी, चम्पावत	सदस्य
4.	श्री भुवन पाण्डे, अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग,	सदस्य
5.	श्री श्याम बहादुर थापा, अग्निशमन विभाग	सदस्य
6.	श्री प्रकाश चन्द्र जोशी, प्रतिनिधि आरसेटी।	सदस्य
7.	श्री खजान पाठक, सेवायोजन विभाग	सदस्य
8.	श्री मनोहर सिंह, वन विभाग चम्पावत।	सदस्य
9.	श्री मनोहर सिंह जंगपांगी, उरेडा।	सदस्य
10.	श्री मुकेश डिमरी, ए0टी0ओ0 कोषागार	सदस्य
11.	श्री एस0के0 गुप्ता, अधिशासी अभियंता, विद्युत विभाग	सदस्य
12.	श्री राजेन्द्र उप्रेती, मुख्य कृषि अधिकारी	सदस्य
13.	श्रीमती लता बिष्ट, जिला पर्यटन विकास अधिकारी	सदस्य
14.	श्री एन0बी0बचखेती, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी	सदस्य
15.	श्री आर.के.सुमन, सहकारिता विभाग	सदस्य
16.	श्री नवीन चन्द्र, होटल गणपति पैलेस	उद्यमी
17.	श्री जीवन चन्द्र बिष्ट, श्री राम लघु उद्योग	उद्यमी
18.	श्री महेश चौडाकोटी, श्री राम फल संरक्षण	उद्यमी
19.	श्रीमती निर्मला गहतोड़ी होटल केशव	उद्यमी
20.	श्री संतोष कुमार, अपर सांख्यिकीय अधिकारी, जि0उ0के0,	
21.	श्री नवीन सिंह बिष्ट, कनिष्ठ सहायक, जि0उ0के0, चम्पावत।	
22.	श्रीमती मीरा बोहरा, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, चम्पावत।	सदस्य सचिव

सर्वप्रथम समिति के सम्मुख सदस्य सचिव/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, चम्पावत द्वारा बैठक प्रारम्भ करने हेतु अध्यक्ष/जिलाधिकारी महोदय से अनुमति चाही गयी। अध्यक्ष महोदय से अनुमति प्राप्त होने पर बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि विगत बैठक जो दिनांक 27.06.2020 को मुख्य विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी का कार्यवृत्त पत्र संख्या 625–35/उद्योग मित्र बैठक/2020–21 दिनांक 22 जुलाई, 2020 के द्वारा संबंधितों को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया गया था।

इस बैठक का कार्यवृत्त बिन्दुवार विवरण निम्नानुसार है :–

1– सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि एकल खिड़की व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यालय में वर्तमान तक 90 आवेदन पत्र ऑनलाइन प्राप्त हुये हैं, जिसमें से 54 मामलों में संबंधित विभागों से सैद्धांतिक सहमति प्राप्त हो गयी है। शेष आवेदन उद्यमियों को औपचारिकताएं पूर्ण करने हेतु वापस किये गये हैं।

उक्त प्रकरण पर अध्यक्ष महोदय, द्वारा कोई आवेदन किसी स्तर पर लंबित होने की जानकारी चाही गयी जिस पर सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यालय स्तर पर कोई आवेदन लंबित नहीं है।

2–सदस्य सचिव द्वारा बैक ऋण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 में एम0एस0एम0ई0 नीति–2015 के अन्तर्गत बैंकों को प्रेषित ऋण आवेदन पत्रों की बैंकवार सूची समिति के सम्मुख रखी गयी। इस पर जिलाधिकारी, महोदय द्वारा बैंकों के स्तर से की जा रही कार्यवाही के संबंध में जानकारी चाही गयी जिस पर सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि सभी बैंकों को प्रेषित आवेदनों पर बैंकों द्वारा सहमति जतायी गयी है एवं कार्यवाही गतिमान है। सदस्य सचिव द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि विद्युत और जल संयोजन के संबंध में वित्तीय वर्ष 2021–22 में कोई भी आवेदन कार्यालय को प्राप्त नहीं है साथ ही अब प्रस्तावों को एकल खिड़की के माध्यम से विभाग द्वारा लिया जाता है सभी अनापत्तियां एकल खिड़की के माध्यम से ही दी जा रही है।

3– सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि मिनी औद्योगिक आस्थान, पुनेठी में मै0 माधवानंद पंगरिया प्रो0 मोहन चन्द्र गड़कोटी के समीप निवासरत श्री प्रकाश चन्द्र पुनेठा द्वारा दिनांक 19.06.2021 के माध्यम से अवगत कराया है कि श्री मोहन चन्द्र गड़कोटी द्वारा अपनी छत का पानी उनकी नाप भूमि में छोड़ दिया गया है जिससे उनकी फसल नष्ट हो गयी है। उक्त संबंध में दिनांक 21.06.2021 को महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, चम्पावत द्वारा निरीक्षण करने पर पाया गया कि उक्त इकाई पर श्री तुलसीराम शर्मा द्वारा अवैध निर्माण कार्य किया जा रहा है। जबकि मिनी औद्योगिक आस्थान का भूखण्ड संख्या 28 श्री मोहन चन्द्र गड़कोटी को मसाला उद्योग हेतु आवंटित था। उक्त प्रकरण पर कार्यवाही पुलिस विभाग द्वारा की जानी है।

उपरोक्त प्रकरण पर अध्यक्ष/जिलाधिकारी महोदय द्वारा सदस्य सचिव को निर्देशित किया गया है कि पुलिस विभाग के सहयोग से हो रहे अवैध निर्माण कार्य को रोका जाय, वह मौके पर जाकर कार्यवाही करें।

4– सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2021–22 में राज्य स्तर हेतु प्रेषित किये जाने एवं रूग्ण इकाई से सबंधित कोई आवेदन पत्र कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है।

5–सदस्य सचिव द्वारा विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2008 के अन्तर्गत इकाईयों के ब्याज उपादान प्रोत्साहन दावे व एम0एस0एम0ई0 नीति–2015 के अन्तर्गत इकाईयों के ब्याज प्रोत्साहन उपादान वैध व कालातीत दावे समिति के सम्मुख प्रस्तुत किये गये। एम0एस0एम0ई0 नीति–2015 के अन्तगत विद्युत बिलों में प्रतिपूर्ति हेतु इकाईयों के वैध व कालातीत दावे, विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति–2008 (यथा संधोधित–2011) जी0एस0टी/वैट में प्रतिपूर्ति दावे तथा एम0एस0एम0ई0 नीति–2015 निवेश प्रोत्साहन सहायता हेतु इकाईयों के दावे समिति के सम्मुख प्रस्तुत किये गये।

(i)–विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2008 के अन्तर्गत विशेष ब्याज उपादान योजना :–

क्र. सं.	विशेष ब्याज उपादान प्रोत्साहन सहायता योजना–2008 के अन्तर्गत रखे गये प्रकरण				समिति द्वारा प्रकरण पर लिए गए निर्णय
	इकाईयों का नाम व पता	प्राप्त कुल दावे	वैध दावे	कालातीत दावे	
1	मैसर्स शिवा रेजीडेंसी, चम्पावत	05	05	–	क्रम संख्या 1, 2, एवं 04 के दावे स्वीकृत किये गये है व क्रम संख्या 03 का दावा औपचारिकता पूर्ण न करने के कारण रोका गया है, समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि यह प्रकरण इकाई की औपचारिकतायें पूर्ण होने के उपरान्त् आगामी उद्योग मित्र/उपसमिति की बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।
2	मैसर्स एन ग्रीन सिटी चम्पावत,	05	05	–	
3	मैसर्स रियल फ्रेश, फोर्ती,	05	05	–	
4	मैसर्स होटल ब्लू एम्पायर मोहनपुर, टनकपुर	05	05	–	

(ii)–सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम ब्याज उपादान प्रोत्साहन सहायता योजना :– योजनान्तर्गत वर्तमान में 15 इकाईयों के निम्न दावे समिति के सम्मुख प्रस्तुत किये गये।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम ब्याज उपादान प्रोत्साहन सहायता योजना–2015 के अन्तर्गत रखे गये प्रकरण	इकाईयों से प्राप्त दावे			समिति द्वारा लिया गया निर्णय
	कुल दावे	वैध दावे	कालातीत दावे	
मैसर्स सिद्ध श्री कन्स्ट्रक्शन, ककराली गेट टनकपुर	03	01	02	समिति द्वारा सभी दावों को स्वीकृत किया गया, अध्यक्ष/जिलाधिकारी महोदय, द्वारा कालातीत हुये दावों को इस कोविड के समय में मान्य किये जाने की अनुमति दी गयी साथ ही भविष्य में दावे ससमय भेजे जाने हेतु निर्देशित किया गया।
मैसर्स हॉलसम फूड्स, गुदमी बनबसा	08	03	05	
मैसर्स सीडर प्लाजा, लोहाघाट,	04	02	02	
मैसर्स होटल रियांश, मोहनपुर, टनकपुर	07	07	–	
मैसर्स गणपति पैलेस, चौडासेठी	05	04	01	
मैसर्स डायमण्ड पॉल्ट्रीफार्म, मनिहारगोठ	10	07	03	
मैसर्स मैलकुना स्पाइसेस, डेसली लोहाघाट	04	02	02	
मैसर्स होटल जय श्री मोहनपुर	06	02	04	
मैसर्स श्री राम लघु उद्योग, मिनी औद्योगिक आस्थान, पुनेठी	06	02	04	
मैसर्स कीर्ति इण्डिया बेवरेज गुदमी बनबसा	09	03	06	
मैसर्स बी0एन0के0 मिनरल्स, कांडा,	10	10	–	
मैसर्स इण्डस्ट्रीयल हाउस होल्ड सर्विस यूनिट, बनबसा	03	03	–	
मैसर्स संजय जोशी पॉल्ट्रीफार्म, थ्वालखेड़ा,	12	12	–	
मैसर्स नटराज फूड्स टनकपुर	08	08	–	
मैसर्स शिवम फुटवेयर, बनबसा	13	01	12	

(iii)–एम0एस0एम0ई0 नीति–2015 के अन्तर्गत विद्युत बिलों में प्रतिपूर्ति हेतु निम्न 07 इकाईयों के दावे समिति के सम्मुख प्रस्तुत किये गये।

एम0एस0एम0ई0 नीति–2015 के अन्तर्गत विद्युत बिलों में प्रतिपूर्ति हेतु रखे गये प्रकरण	इकाईयों से प्राप्त दावे			समिति द्वारा लिया गया निर्णय
	कुल	वैध	कालातीत	
मैसर्स श्री हरि इण्डस्ट्रीज, टनकपुर	05	05	–	समिति द्वारा सभी दावों को स्वीकृत किया गया, अध्यक्ष/जिलाधिकारी महोदय, द्वारा कालातीत हुये दावों को इस कोविड के समय में मान्य किये जाने की अनुमति दी गयी साथ ही भविष्य में दावे समय से प्राप्त हो इस हेतु निर्देशित किया गया।
मैसर्स शांति इण्डस्ट्रीज ज्ञानखेड़ा	05	03	02	
मैसर्स मंगल फूड्स, ज्ञानखेड़ा,	03	01	02	
मैसर्स हॉलसम फूडस, गुदमी बनबसा	05	04	01	
मैसर्स कीर्ति इण्डिया बेवरेज गुदमी बनबसा	03	–	03	
मैसर्स नटराज फूडस, टनकपुर	02	02	–	
मैसर्स मैलकूना स्पाइसेस, डेसली, लोहाघाट	01	01	–	

(iv)–सदस्य सचिव द्वारा जी0एस0टी0/वैट में प्रतिपूर्ति के तहत 01 दावा मै0 जयदुर्गे राइस मिल, फागपुर बनबसा तथा एम0एस0एम0ई0 नीति–2015 (यथा संशोधित 2020) के निवेश प्रोत्साहन दावे के अन्तर्गत 02 इकाईयों के दावे समिति के सम्मुख प्रस्तुत किये गये।

उपरोक्त प्रकरणों में वैट के अन्तर्गत मै0 जयदुर्गे राइस मिल, फागपुर बनबसा का वर्ष 2013–14 का तृतीय त्रैमास का धनराशि रू0 78,119.00 का दावा समिति के अध्यक्ष/जिलाधिकारी महोदय द्वारा स्वीकृत किया गया, क्योंकि इकाई द्वारा दावा ससमय दिया गया था, परंतु विभागीय स्तर पर लंबित था।

(v)–एम0एस0एम0ई0 नीति–2015 निवेश प्रोत्साहन सहायता :– योजनान्तर्गत मै0 श्री राम लघु उद्योग, मिनी औद्योगिक आस्थान, पुनेठी चम्पावत का धनराशि रू0 7,58,887.00 का दावा उपसमिति द्वारा अनुमोदित/स्वीकृत किया गया। मै0 प्रकाश चन्द्र पाण्डे, हाईड्रोफोनिक फोडर एवं मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट, पाटन लोहाघाट के दावे पर समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि दोनों गतिविधियों में से मेजर गतिविधि को एम0एस0एम0ई0 के अन्तर्गत निवेश प्रोत्साहन उपादान हेतु लिया जाये एवं संबंधित इकाई को प्रकरण विशेष पर स्पष्ट उत्तर प्राप्त करने हेतु पत्र प्रेषित करने तथा प्रकरण को आगामी जिला उद्योग मित्र/उपसमिति की बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।

6– सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि मिनी औद्योगिक आस्थान 2.29 एकड़ भूमि पर पुनेठी चम्पावत में स्थापित है। मिनी औद्योगिक आस्थान में कुल 34 भूखण्डों में से 29 उद्यमियों को भूखण्ड आवंटित किये गये हैं। जिसमें से केवल 08 उद्यमियों द्वारा कार्य किया जा रहा है तथा 21 उद्यमियों द्वारा अपनी कार्यशालाओं का निर्माण किया गया है। जिसमें से 12 उद्यमियों द्वारा मशीनें लगाने के उपरान्त इकाई बंद कर दी गयी है तथा उद्यमियों द्वारा अभी तक मशीन आदि नहीं लगायी गयी है और न ही कोई कार्य किया गया है। इनके द्वारा औद्योगिक आस्थान में कार्यशालाएं किराये में रहने हेतु दिए गए हैं। 01 इकाई द्वारा भूमि समलतीकरण किया गया है।

क्र.सं.	मिनी औद्योगिक आस्थान से संबंधित प्रकरण	समिति द्वारा लिया गया निर्णय
1	सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि औद्योगिक आस्थान में भूखण्ड आवंटित होने के पश्चात् 05 इकाईयों द्वारा किस्त ससमय जमा नहीं की जा रही है और 21 उद्यमियों द्वारा उद्योग प्रारम्भ नहीं किये जा रहे हैं जिन्हें अंतिम नोटिस भेजे जा चुके हैं।	उक्त प्रकरण पर अध्यक्ष/जिलाधिकारी महोदय, द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि ऐसे उद्यमी जिन्होंने भूखण्ड आवंटन के उपरान्त् किस्त ससमय जमा नहीं की है उन्हें अंतिम नोटिस भेजा जाये, अंतिम नोटिस दिये जाने के उपरान्त् यदि किस्त जमा नहीं होती है, तो मिनी औद्योगिक आस्थान की नियमावली के अनुसार भूखण्ड निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाये। जिनके द्वारा उद्योग नहीं चलाये जा रहे हैं उन्हें भी अंतिम नोटिस दिया जाये व भूखण्ड निरस्त करने की कार्यवाही की जाये। इसके लिए पुलिस बल की आवश्यकता होने पर पुलिस विभाग द्वारा सहयोग किया जायेगा।
2	सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि मिनी औद्योगिक आस्थान में भूखण्ड संख्या 28 मै0 लधौनधूरा मसाला उद्योग, प्रो0 श्री मोहन चन्द्र गड़कोटी तथा भूखण्ड संख्या 17 मै0 बाराही टिन इण्डस्ट्रीज, प्रो0 श्री अमर सिंह चमियाल को आवंटित है। दिनांक 21.06.2021 को निरीक्षण करने पर भूखण्ड संख्या 28 पर श्री तुलसीराम शर्मा का परिवार निवास कर रहा है और बिना विभाग की अनुमति के अवैध निर्माण कार्य किया जा रहा है। भूखण्ड संख्या 17 पर श्री हर्षित राय द्वारा भवन निर्माण कार्य किया जा रहा है। उक्त दोनों इकाईयों	उक्त प्रकरणों पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि भूखण्डों पर होने वाले अवैध निर्माण कार्य को तत्काल रोका जाये। बैठक में उपस्थित श्री तुलसीराम शर्मा को निर्देश दिये गये हैं कि भवन का निर्माण कार्य तत्काल रोक दें एवं वैध तरीके से कार्य करे। विभाग द्वारा दिये गये नोटिस का जवाब लिखित में दें।

	को नोटिस जारी किया जा चुका है।	
3	बैठक में उपस्थित मिनी औद्योगिक आस्थान के उद्यमी श्री महेश चौड़ाकोटी, श्रीमती निर्मला गहतोड़ी द्वारा औद्योगिक आस्थान में आ रही पानी की समस्या के बारे में अवगत कराया गया कि पानी की समस्या के कारण उनके उद्योग ठीक से नहीं चल पा रहे हैं।	इस प्रकरण पर अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित जल संस्थान अधिकारी को मिनी औद्योगिक आस्थान का निरीक्षण कर उद्योगों को पानी की क्षमता के अनुसार आकलन कर पानी की आपूर्ति सुचारू करने के निर्देश दिये।

8 :– अन्य बिन्दु (1) :– सदस्य सचिव द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि मै0 कीर्ति इण्डिया बेवरेज बनबसा, प्रो0 सोनू सक्सेना, द्वारा अपने पत्र संख्या शून्य दिनांक 12.07.2021 के माध्यम से उक्त इकाई मार्च 2020 से कोविड–19 के कारण ठीक से नहीं चल पा रही है जिस कारण उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है एवं धनराशि रू0 20 लाख तक की वित्तीय सहायता हेतु जिला उद्योग केन्द्र से निवेदन किया गया है।

उक्त प्रकरण पर समिति द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि वर्तमान में एम0एस0एम0ई0 नीति–2015 (यथा संशोधित 2020) के तहत वित्तीय प्रोत्साहनों के अतिरिक्त कोई अन्य वित्तीय प्रोत्साहन संबंधित योजना संचालित नहीं है। अतः प्रकरण पर उद्यमी के निवेदन के क्रम में प्रकरण को उद्योग निदेशालय को प्रेषित किया जाये।

2– मै0 गणपति पैलेस, चौडासेठी चम्पावत के मैनेजिंग पार्टनर श्री नवीन चन्द्र गडकोटी द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि एम0एस0एम0ई0नीति 2015 के अन्तर्गत उनकी इकाई को निवेश प्रोत्साहन सहायता रू0 40.00 लाख स्वीकृत हुआ था। स्वीकृत धनराशि आतिथि तक उन्हें प्राप्त नहीं हुई है। अध्यक्ष महोदय द्वारा सदस्य सचिव से संबंधित प्रकरण पर जानकारी चाही गयी, सदस्य सचिव द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि इकाई को स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष बजट अभी प्राप्त नहीं हुआ है। बजट उपलब्धता पर धनराशि संबंधित इकाई को वितरित कर दी जायेगी। इस क्रम में अध्यक्ष महोदय द्वारा सदस्य सचिव को निर्देशित किया गया कि उद्यमी से पत्र प्राप्त कर बजट मांग हेतु एक पत्र उद्योग निदेशालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

बैठक के अंत में सदस्य सचिव द्वारा जिलाधिकारी महोदय एवं सभी अधिकारियों एवं उद्यमियों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

29.07.21

सदस्य सचिव
जिला स्तरीय उद्योग मित्र
महाप्रबंधक,
जिला उद्योग केन्द्र, चम्पावत

अनुमोदन

अध्यक्ष / जिलाधिकारी
जिला स्तरीय उद्योग मित्र चम्पावत

कार्यालय :– महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, चम्पावत।

पत्रांक 420-29 / उद्योग मित्र बैठक / 2021–22 दिनांक 29 जुलाई, 2021।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, औद्योगिक विकास उत्तराखण्ड पटेलनगर देहरादून।
2. निदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड पटेलनगर देहरादून।
3. मुख्य विकास अधिकारी, चम्पावत।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, चम्पावत।

5. लीड बैंक अधिकारी, चम्पावत।
6. अधिशाासी अभियंता, जल संस्थान, चम्पावत।
7. अधिशासी अभियंता, विद्युत विभाग, चम्पावत।
8. अग्निशमन अधिकारी, लोहाघाट, चम्पावत।
9. अध्यक्ष सचिव, हिलयन चैम्बर्स ऑफ कामर्स एण्ड इण्ड0 नैनीताल रोड़ काठगोदान हल्द्वानी।
10. अध्यक्ष सचिव, कुमाऊं गढवाल चैम्बर्स ऑफ कामर्स काशीपुर।

29.07.21
महाप्रबंधक,
जिला उद्योग केन्द्र,
चम्पावत।